

कार्यालय, अंचल अधिकारी, गारु।

आदेश का उद्घरण

विविध वाद सं० 12 वर्ष 2022-23

में पारित आदेश के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि आवेदक/आवेदिका तेरेला निरुपा
पिता/पति पारसीक रणलखों ग्राम गामाफुट थाना गारु
जिला लखीमपुर के नाम से निम्नांकित भूमि का मांग पंजी 02 में हाल सर्वे खतियान के आधार पर मांग कायम करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें तथा बकाया लगान की वसूली करें।

भूमि का विवरण

ग्राम थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० डी०	लगान रू० पै०
<u>36</u>	36	255	0.18	
<u>36</u>		257	0.63	10.00 रु०
<u>61</u>		258	0.02	<u>अच्छे</u>
			<u>0.83 ए०</u>	

Kaw
27-09-22
अंचल अधिकारी
गारु।